राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(अनुभाग–6)

क्रमांक : एफ. 14(40)एम.एल.ए. / ग्रुप–6 / 2000 जयपुर, दिनांक सितम्बर,2005

:: विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना – दिशा निर्देश ::

विधान सभा सदस्यो को उनके विधान सभा क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विधायको की अभिशंषा पर पूंजीगत प्रकृति के छोटे–छोटे विकासात्मक निर्माण कार्यो को कराने के उद्देश्य से ''**विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना** '' वित्तीय वर्ष 1999–2000 में प्रारम्भ की गई है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की संकल्पना, कार्यान्वयन तथा प्रबोधन के सम्बन्ध में इस विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 14(40) एम.एल.ए. / ग्रुप–6 / 2000 जयपुर, दिनांक 3.2.2000 में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गये । इन दिशा निर्देशों को पत्र क्रमांक :एफ.14(40) एम.एल.ए.ग्रुप–6 / 2000 जयपुर, दिनांक 3.2.2003 को संशोधित किया गया । इस योजना के दिशा निर्देशों में समय –समय पर किए गए परिवर्तन तथा संशोधनों को सम्मिलित करते हुए **योजना के सम्बन्ध में जारी सभी पूर्व निर्देशों के अतिक्रमण** में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के **संशोधित दिशा निर्देश** इस परिपत्र के द्वारा तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं ।

1. योजना के उद्देश्य

1.1 स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप राजकीय / पंचायतीराज संस्था/ स्थानीय स्वायतशाषी निकाय के स्वामित्व की जन उपयोगी परिसम्पतियों का निर्माण कराना ।

1.2 क्षेत्रीय विकास में असन्तुलन को दूर करना ।

1.3 स्थानीय समुदाय में स्वालम्बन एवं आत्मविश्वास को प्रोत्साहन देना ।

2. योजना की विशेषताएं एवं स्वीकृति हेतु कार्य प्रस्ताव

2.1 वर्तमान में प्रति वर्ष प्रति विधान सभा क्षेत्र 60.00 लाख रूपयों का आवंटन निर्धारित हैं ।

2.2 प्रत्येक विधान सभा सदस्य अपने अपने विधान सभा क्षेत्र में सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के लिये विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत निर्धारित की गयी राशि की सीमा तक के अनुमत जनोपयोगी कार्यो एवं परिसम्पतियों का निर्माण कराने के प्रस्ताव जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) में प्रेषित करेंगे जो स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यान्वित कराये जा सकेंगे।

2.3 प्रत्येक विधायक द्वारा सभी प्रस्तावित कार्य योजनान्तर्गत कराये जाने वाले अनुमत कार्यो की सूची (संलग्न परिशिष्ट–1) में अंकित कार्यो में से होना आवश्यक होगा। ।

2..4 योजनान्तर्गत गैर अनुमत कार्यो की सूची परिशिष्ठ–2 (संलग्न) पर उपलब्ध हैं ।

2.5 विधायक द्वारा उनके वार्षिक आवंटन की 20 प्रतिशत राशि तक के प्रस्ताव योजनान्तर्गत पूर्व निर्मित सामुदायिक उपयोग की परिसम्पतियों के मरम्मत कराने हेतु प्रस्तावति किये जा सकेंगे।

2.6 आवंटन से अधिक राशि की इस योजना मद से स्वीकृति जारी नहीं की जा सकेगी हैं । सम्बन्धित वर्ष के आवंटन के पेटे जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) में उस वर्ष की 31 मार्च तक प्राप्त होने वाले विधायकगण के प्रस्ताव आवंटित राशि की सीमा में स्वीकृत योग्य होंगे।

2.7 किसी विधान सभा क्षेत्र में पूर्व स्वीकृत कार्यो के पेटे यदि कोई बचत रहती हैं तो उतनी राशि के अधिक कार्य स्थानीय विधायक की अभिशंषा पर स्वीकृत किये जा सकते हैं।

2.8 पूर्व स्वीकृत कार्यो पर यदि स्वीकृत राशि से अधिक राशि व्यय होती हैं (जो जिला परिषद द्वारा मान्य हैं) तो उस अधिक व्यय होने वाली राशि जो पूर्व दायित्वों की श्रेणी में आता हैं, को वार्षिक आवंटन से घटाते हुये शेष अवशेष रहने वाली राशि के ही कार्य स्वीकृत किये जा सकेंगे।

2.9 प्रत्येक विधायक को आवंटित राशि के कार्य उसी वित्तीय वर्ष में अभिशंषित कर स्वीकृत कराने आवश्यक हैं।

2.10 यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विधायक कोष में से किसी विधायक की राशि अस्वीकृत अवशेष रहती हैं , तो अगले वित्तीय वर्ष में अवशेष राशि जो जिला परिषद के निजी निक्षेप खाते मे जमा हैं एवं लैप्स नहीं हुई हैं , को खर्च करने से पूर्व जिला परिषद द्वारा अस्वीकृत/अवशेष रही राशि की सूचना राज्य सरकार को दी जायेगी व राज्य सरकार की अनुमति लेने के उपरान्त ही उक्त राशि के कार्य स्वीकृत किये जा सकेंगे।

2.11 जिला स्तर के राजकीय कार्यालय भवन/विस्तार,राजकीय हॉस्पीटल भवन/विस्तार एंव इनके लिये चिकित्सा उपरकण /एम्बूलेन्स, राजकीय कॉलेज भवन/विस्तार, विश्वविद्यालय भवन/विस्तार एवं इनके लिये शिक्षण कार्य हेतु कम्प्यूटर, जिले को कनेक्ट करने वाली मुख्य सडकें जिनसे जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र की जनता लाभान्वित होती हैं, के निर्माण हेतु सम्बन्धित जिले के कोई भी विधायक इस योजना के तहत अपने कोटे की राशि से कार्य करवाने हेतु प्रस्ताव जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को प्रेषित कर सकेंगे।

2.12 बिन्दु संख्या 2.11 में वर्णित कार्यो के अतिरिक्त जिले में सामुदायिक महत्व के कार्य, जिनसे सम्पूर्ण जिले की जनता लाभान्वित होती हैं, इन कार्यो के लिये जिले के निर्वाचित सभी विधायकगण अपने हिस्से की राशि में से अभिशंषा कर सकेंगे भले ही उक्त कार्य उनके विधान सभा क्षेत्र में नही आ रहे हों । इस प्रकार के कार्यो की जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) स्तर पर स्वीकृति से पूर्व राज्य सरकार से अनुमति लिया जाना आवश्यक हैं

2.13 जयपुर मुख्यालय पर सूचना केन्द्र परिसर में निर्मित होने वाले स्वतंत्रता सेनानियो के लिये स्मृति भवन व अनुसंधान केन्द्र निर्माण हेतु राज्य के कोई भी विधायक अपने कोटे

की राशि से कार्य कराने हेतु प्रस्ताव अपने नोडल जिले के माध्यम से जयपुर जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को प्रेषित कर सकेंगे ।

2.14 यदि कोई विधायक अपने विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक उपयोग की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को प्रारंभ कराना चाहते हैं तो वे राज्य के योगदान की एवज में उनके कोटे की राशि के उपयोग की अभिशंषा कर सकते हैं ।

2.15 जयपुर मुख्यालय पर प्रस्तावित हज हाउस के निर्माण हेतु राज्य के सभी विधायक यदि वे चाहे तो, अपने विधायक कोटे से प्रस्ताव अपने नोडल जिले के माध्यम से जिला कलक्टर,जयपुर को प्रेषित कर सकेंगे ।

2.16 मा0 विधायक जो विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की निधियों से सुनामी पीडित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यो हेतु निधियों का आवंटन चाहते हैं, वे जितनी राशि का आवंटन करना चाहते हैं, उसका उल्लेख करते हुए अपना स्वीकृति पत्र शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग जयपुर को भिजवा दे । प्राप्त इन अनुरोधो / अभिशंषाओं पर इस विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी और संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिये जायेगे कि वे सम्बन्धित विधायक कोष की निधियां / सम्बन्धित राज्य के सुनामी प्रभावित क्षेत्रों के जिला कलेक्टरों को हस्तांतरित करें ।

2.16.1 अभिशंषित राशि के कार्य निष्पादन की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य के प्रभावित क्षेत्र के जिला कलेक्टर की होगी ।

2.16.2 प्रभावित क्षेत्र के जिला कलेक्टर निम्नलिखित को भी सुनिश्चित करेंगेः—

(अ) सुनामी प्रभावित क्षेत्र में कार्य का निष्पादन और समापन।

(ब) इस विभाग और सम्बन्धित जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रत्येक माह वित्तीय एवं भौतिक प्रगति व सम्पूर्ण राशि के उपयोग पर उपयोगी प्रमाण पत्र एवं लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र भेजना ।

(स) उन विधायको को प्रगति के सम्बन्ध में सूचित करना, जिन्होंने प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वास हेतु अंशदान किया हैं।

2.17 क्षेत्रीय विधायक द्वारा प्रतिवर्ष अपने विधान सभा क्षेत्र में कराये जाने वाले जनउपयोगी परिसम्पतियों के प्रस्ताव जो प्रति कार्य रू0 10.00 लाख से अधिक के नहीं होंगे,जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)में प्रेषित किये जायेंगे। विशेष परिस्थितियों में 10.00 लाख रूपये से अधिक वाले प्रति कार्य की स्वीकृति जारी करने से पूर्व कार्य की प्रस्तावित लागत मा0 विधायक की अभिशंषा , कार्यकारी एजेन्सी का नाम , नक्शा एवं कार्य की उपयोगिता के सम्बन्ध में जिला परिषद अपनी टिप्पणी के साथ प्रस्ताव प्रेषित कर राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

2.18 विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्य का अनुमानित तकमीना जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) द्वारा तैयार करवाकर उसी अनुरूप माननीय विधायक से कार्य की राशि की अभिशंषा करवाई जावेगी तदापुरान्त प्रस्तावित कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी । किसी भी परिस्थिति में विधायक की अभिशंषा के बिना विधायक कोष की राशि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

2.19 इस योजना के अधीन निर्माण कार्य स्थानीय आवश्कयताओं पर आधारित टिकाउ एवं विकासात्मक प्रकृति के होंगे ।

2.20 योजनान्तर्गत प्रदान की गई निधियों का उपयोग राजस्व व्यय के लिये नहीं किया जा सकेगा तथा कोई आवृति व्यय हेतु भी उपयोग नहीं किया जा सकेगा ।

2.21 सृजित होने वाली परिसम्पतियों के निर्माण स्थल का स्वामित्व–मद राज्य सरकार के संबंधित विभाग/पंचायती राज संस्था/स्थानीय स्वायत्तशाषी निकाय का होना सुनिश्चित हो ।

2.22 **विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम** मद की निधि से निर्मित कराये गये कार्य के बाबत सूचना फलक कार्य स्थल पर लगवाया जावेगा जिसमे स्वीकृत राशि, व्यय राशि, कार्य प्रारंभ दिनांक, कार्य पूर्ण दिनांक एवं कार्यकारी एजेन्सी आदि की सूचनाए अंकित होगी ।

2.23 किसी गैर सरकारी संस्था/पंजीकृत ट्स्ट/पंजीकृत संस्था/निजी संस्था को उस ट्स्ट/संस्था की स्वयं की परिसम्पत्तियॉ बनाने के लिये इस योजनान्तर्गत स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकेगी। परन्तु पंजीकृत संस्था/ट्स्ट के लिए टिकाउ प्रवृति की परिसम्पतियों का सृजन निम्नांकित शर्तो के अधीन कराया जा सकता हैं :–

(अ) पंजीकृत संस्था/पंजीकृतट्स्ट जो सामाजिक सेवा/कल्याणकारी गतिविधियों में इंगेज्ड हो तथा कम से कम तीन वर्ष से अस्तित्व में हो ।

(ब) लाभार्थी संस्था के कार्य की पारदर्शिता एवं सुदृढ वित्तीय स्थिति आदि को दृष्टिगत रखते हुए उस संस्थ की सुस्थापित एवं प्रतिष्ठित होने बाबत जिला कलक्टर द्वारा संतुष्टि किये जाने पर ।

(स) सृजित होने वाली परिसम्पत्तियॉ सार्वजनिक जनता(अर्थात जाति,/धर्म के भेदभाव के बिना सभी वर्गो के) के लिए उपयोग हेतु सदैव उपलब्ध रहने पर । ये परिसम्पतियों जातिगत न्याति नोहरे/जातिगत छात्रावास/ जातिगत श्मशान एवं जाति विशेष की नहीं होनी चाहिये

(द) सृजित होने वाली परिसम्पत्तियॉ का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित होगा । इन परिसम्पत्तियों का बेचान/हस्तांतरण/ खुर्द–बुर्द किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं होगा ।

(य) सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख–रखाव का दायित्व सुनिश्चित तौर पर लाभार्थी संस्था द्वारा लिये जाने पर ।

(र) संस्था द्वारा नियमित रूप से वार्षिक रिपोर्ट एवं अंकेक्षित लेखे जिला कलक्टर को देने होंगे ।

(ल) लाभार्थी संस्था द्वारा राज्य सरकार(जिला कलक्टर) के साथ उक्त शर्तो को स्वीकार करने हेतु अग्रिम रूप में औपचारिक अनुबंध निष्पादित करने के उपरांत ।

2.24 किसी ट्रस्ट/गैर सरकारी संस्था के अधीन राज्य मे संचालित एक या एक से अधिक संस्थाओं में एक या एक से अधिक कार्यो के लिये योजना अवधि में किसी भी स्थिति में 10.00 लाख रूपये तक की सीमा राशि से अधिक राशि के कार्य स्वीकृत नहीं किये जा सकेंगे ।

2.25 किसी ट्रस्टी अथवा गैर सरकारी संस्था की कार्यकारिणी के अध्यक्ष अथवा सदस्य स्वयं प्रस्तावकर्ता विधायक हो तो उस ट्रस्ट/संस्था के लिये कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया जा सकेंगा।

2.26 योजनान्तर्गत निर्मित कराये जाने वाली परिसम्पतियों के रखरखाव और अनुरक्षण की व्यवस्था सम्बन्धित लाभार्थी संस्था की होगी ।

3. कार्य की स्वीकृति और निष्पादन

3.1 निर्माण कार्यो को अभिज्ञापित करने और उनका चयन करने तथा इन्हें स्वीकृत करने हेतु जिला कलक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के लिये आवश्यक होगा कि संबंधित विधायक की सहमति प्राप्त करें ।

3.2 सामान्यतया विधायक की सलाह (विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्यकारी एजेन्सी/स्थान आदि) को मान्यता दी जानी चाहिये । जिन मामलों में जिला कलक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) यह महसूस करते हैं कि विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्य निष्पादित नहीं किया जा सकता हैं, उनके संबंध में कारणों का उल्लेख करते हुये एक व्यापक रिपोर्ट भी संबंधित विधायक को भेजेंगे ।

3.3 विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्य के प्राप्त होने की तारीख से यथा संभव 45 दिनों के भीतर जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी कर देनी चाहिये । प्रशासनिक/तकनीकी/वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने के लिये निम्नानुसार अनुमानित समय अवधि निर्धारित की जाती हैं :-

प्रशासनिक स्वीकृति	– प्रस्ताव प्राप्त होने के 10 दिवस में ।
तकनिकी स्वीकृति	– प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद 25 दिवस में ।
वित्तीय स्वीकृति	– तकनिकी स्वीकृति जारी होने के बाद 10 दिवस में ।

3.4 यदि किसी कार्य की तकनीकी स्वीकृति की राशि विधायक द्वारा प्रस्तावित लागत राशि से 10 प्रतिशत से अधिक हैं तो उस प्रस्तावित कार्य के लिये शेष राशि की सम्बन्धित विधायक से सहमति प्राप्त करने के बाद ही वित्तीय स्वीकृति जारी की जानी हैं । ऐसे प्रकरण की सम्बन्धित विधायक महोदय से सहमति प्राप्त होने के एक सप्ताह में वित्तीय स्वीकृति जारी कर देनी होगी ।

3.5 इस योजना के तहत प्रस्तावित कार्यो की प्रशासनिक/तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जारी की जावेगी। वित्तीय स्वीकृति की एक प्रति सम्बन्धित विधायक को भी दी जावेगी ।

3.6 सामान्यतया निर्माण कार्यो का क्रियान्वयन स्थानीय स्वायत्तशाषी निकाय/पंचायती राज संस्था/ जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के माध्यम से कराया जायेगा ।

3.7 आवश्यकतानुसार कोई कार्य राजकीय विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा विशेष विधि के तहत गठित निगम/बोर्ड/अभिकरण जो कार्य कराने में सक्षम हैं, के माध्यम से भी करवाया जा सकेंगा। परन्तु इसके लिये इन संस्थाओं को प्रोरेटा चार्ज देय नहीं होगा।

3.8 विशेष प्रकरणों में कार्यो का क्रियान्वयन पंजीकृत संस्था/गैर–सरकारी स्वेच्छिक संस्था/पंजीकृत ट्रस्ट/पंजीकृत सहकारी संस्था के द्वारा भी करवाया जा सकता हैं बशर्ते वह संस्था निम्न शर्तो की पूर्ति करती हों :-

(अ) गैर सरकारी पंजीकृत संस्था / ट्रस्ट कम से कम तीन वर्ष से अस्तित्व में हों ।

(ब) संस्था / ट्रस्ट को निर्माण कार्य करवानें का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो ।

(स) संस्था / ट्रस्ट की आर्थिक, तकनीकी एवं भौतिक संसाधनों के रूप से सुदृढता तथा कार्य क्षमता के सम्बन्ध में जिला कलक्टर द्वारा संतुष्ट होने पर ही गैर सरकारी संस्था /ट्रस्ट को कार्यकारी एजेन्सी बनाया जा सकेगा ।

(द) संस्था द्वारा प्रस्तावित कार्य की मूल लागत का कम से कम 30 प्रतिशत की राशि की भागीदारी दी जाती हैं।

3.9 विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत अभिशंषित कार्य जिसकी कार्यकारी एजेन्सी गैर सरकारी संस्था हो, ऐसे कार्यो के लिए विधायक कोष से विधायक की अभिशंषा पर अधिकतम 10.00 लाख रूपये तक की राशि ही स्वीकृत की जा सकती हैं । कार्य की कुल लागत मे विधायक कोष से विधायक द्वारा अभिशंषित राशि एवं संस्था के अंश की कुल लागत का न्यूनतम 30 प्रतिशत राशि या इससे अधिक राशि सम्मिलित करते हुये कुल लागत राशि की स्वीकृति इस योजना के दिशा–निर्देशों में निहित शक्तियों के अनुरूप सक्षम स्तर से जारी की जा सकेगी ।

3.10 इस योजनान्तर्गत कार्य ठेके पर नहीं करवाये जाकर विभाग स्तर पर करवाये जायेंगे । यदि कोई कार्य तकनिकी दृष्टि से संभव नहीं हैं तो उन विशेष कार्यो को ठेके पर कराने के लिये स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा औचित्य सहित आदेश जारी किये जायेंगे । परन्तु उक्त कार्यो पर टेण्डर प्रिमियम देय नहीं होगा ।

3.11 विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार क्रियान्वयन हेतु जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) द्वारा कार्यकारी संस्था को राशि दी जावेगी।

3.12 जब कभी विधायक बदलेंगे , चाहे इसके कारण कुछ भी हो क्रियान्वयन में यथा सम्भव निम्नलिखित सिद्धांत अपनाये जायेंगे :–

3.12.1 यदि पूर्ववती विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्यो जिनके लिए पूर्ववर्तीविधायक की अभिशंषा पर स्वीकृति जारी की जा चुकी हो , उन सभी कार्यो की क्रियान्विति की जावे बशर्ते ये प्रति मानको के अनुरूप और विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों की पात्रता हेतु जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत हो ।

3.12.2 यदि पूर्ववती विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्य जो जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) में उनके हटने के दिन तक प्राप्त हो गये हैं, उन कार्यो की जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) में प्राप्त होने की तिथि से 45 दिन तक भी किन्ही प्रशासनिक कारणों से प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की गई हैं तो भी उन कार्यो को निष्पादित किया जायेगा बशर्त वह कार्य योजनान्तर्गत अनुमत योग्य हो ।

3.12.3 पूर्ववती विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्य को राज्य सरकार की बिना अनुमति के ना तो निरस्त किया जायेगा एवं ना ही संशोधित किया जा सकेगा ।

3.12.4 पूर्ववती विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्य की उपरोक्त कारणों के बजाय अन्य कारणों से प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की गई हो तो उस कार्य को पूरा करवाया जा सकेगा बशर्ते कार्य का उत्तरवर्ती विधायक द्वारा अनुमोदन कर दिया गया हो तथा उस विधान सभा क्षेत्र के कोटे के आवंटन के पेटे अपेक्षित अस्वीकृत राशि अवशेष हो।

3.12.5 यदि किसी वित्तीय वर्ष में विधायक कोटे हेतु निर्धारित राशि में से पूर्ववर्ती विधायक की अभिशंषा पर कार्य स्वीकृत करने के उपरान्त उनके कोटे की कोई राशि स्वीकृत

करने हेतु शेष रह गयी हो तो उस राशि में से बिन्दु संख्या 3.12.1, 3.12.2 एवं 3.12.4 के लिये अपेक्षित राशि को आरक्षित रखने के बाद शेष बची अस्वीकृत राशि की राज्य सरकार से अनुमति पश्चात उक्त राशि के कार्य उत्तरवर्ती विधायक के प्रस्ताव पर स्वीकृत किये जा सकेंगे ।

3.14 **पेयजल के कार्य** निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार क्रियान्वित कराये जावेंगे :—

3.14.1 पेयजल से सम्बन्धित कार्य जो पी.एच.ई.डी. के नोर्मस में आते हैं उनका क्रियान्वयन /रखरखाव भी पी.एच.ई.डी. के द्वारा किया जावेगा ।

3.14.2 स्थानीय विधायक की अभिशंषा पर उनके चाहे अनुसार सार्वजनिक स्थान पर हैन्डपम्प लगााने के कार्य जिला स्तर पर नियमानुसार निविदायें प्राप्त कर पेयजल से सम्बन्धित अनुभवी निजी संस्थाओं/ ठेकेदारों के माध्यम से भी करायें जा सकेंगे । लगाये जाने वाले हैण्डपम्प का रखरखाव/अनुरक्षण की व्यवस्था सम्बन्धित पंचायत/पचांयत समिति/स्थानीय स्वायत्तशाषी निकाय द्वारा की जायेगी तथा उक्त स्थापित किये जाने वाले हैण्डपम्पों का पूर्ण भुगतान निम्नांकित कमेटी द्वारा रेन्डम चेकिंग करने के उपरान्त किया जावेगा :—

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) ।
2. सहायक अभियंता , जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) ।
3. विकास अधिकारी, सम्बन्धित पचांयत समिति ।
4. सम्बन्धित सहायक अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ।

3.14.3 पेयजल से सम्बन्धित जो कार्य पी.एच.ई.डी. के नोर्मस में नहीं आते हैं उन्हें किसी पेयजल से सम्बन्धित अनुभवी एजेन्सी /ठेकेदार से नियमानुसार निविदायें आमंत्रित कर कराये जा सकेंगे बशर्त ऐसे सृजित कार्यो का रखरखाव सम्बन्धित पंचायत/ पंचायत समिति/स्थानीय स्वायत्तशाषी निकाय द्वारा किया जाना सुनिश्चित हो । ऐसे कार्यो की स्वीकृति/क्रियान्वयन/भुगतान आदि निम्नांकित गठित कमेटी की अभिशंषा पर किये जायेंगे :—

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिला परिषद(ग्रामीण प्रकोष्ठ) ।
2. सम्बन्धित क्षेत्र का विधायक ।
3. अधिशाषी अभियंता /सहायक अभियंता , जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ।
4. विकास अधिकारी, सम्बन्धित पचांयत समिति ।
5. परियोजना अधिकारी(अभियांत्रिकी)/सहायक अभियंता, जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) ।

3.14.4 स्थानीय विधायक की अभिशंषा पर उनके चाहें अनुसार सार्वजनिक स्थान पर हैण्डपम्प लगाने का कार्य/पेयजल से सम्बन्धित ऐसे कार्य जो पी.एच.ई.डी. के नोर्मस में नहीं आते उन कार्यो का क्रियान्वयन ऐसी पंचायती राज संस्था से कराया जा सकेगा जो संस्था जिला कलक्टर की दृष्टि में ऐसे कार्य कराने में सक्षम हैं । परन्तु ऐसे कार्यो के रखरखाव सम्बन्धित पंचायत/पंचायत समिति द्वारा किया जाना सुनिश्चित हो ।

3.14.5 पेयजल के कार्य स्वीकृत करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि माननीय विधायक द्वारा अभिशंषित राशि से कार्य पूर्ण हो सके (यथा बोरिंग के कार्य के साथ

ही बोरिंग से जुडी पाइप लाइन एवं बोरिंग हेत विद्युतिकरण का कार्य आदि) जिससे की अभिशंषित राशि निष्फल व्यय ना हो सके ।

3.15 सूखाग्रस्त क्षेत्रों में स्थानीय विधायक द्वारा प्रस्तावित ऐसे कार्य जो अकाल सहायता मद में भी अनुमत योग्य हो, उन कार्यो को अकाल सहायता मद की राशि के साथ डबटेल कर स्वीकृत किया जा सकेगा ।

3.16 एक से अधिक जिले में फैले विधान सभा क्षेत्र के मामले में जिस जिले को राज्य स्तर से राशि उस सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र के लिए रिलीज की जाती हैं, उस जिले को उस विधान सभा क्षेंत्र के लिये नोडल जिला माना जावेगा । अतः नोडल जिले को उस विधान सभा क्षेत्र हेतु प्राप्त सम्पूर्ण राशि के लेखे/प्रगति विवरण राज्य सरकार को देना होगा । यदि नोडल जिले द्वारा उस विधान सभा क्षेत्र के लिये किसी अन्य सह जिलों को राशि हस्तांतरित की जाती हैं तो उस हस्तांतरित राशि के लेखे/प्रगति विवरण सम्बन्धित सह जिले से प्राप्त कर अपने जिले के लेखों/प्रगति विवरण में सम्मिलित कर राज्य स्तर पर भेजेंगे तथा सह जिले नोडल जिले से प्राप्त राशि के लेखे/प्रगति विवरण को राज्य स्तर पर भेजने वाले लेखों/प्रगति विवरण में सम्मिलित नहीं करेंगे , बल्कि उस प्राप्त राशि के लेखे/प्रगति विवरण सम्बन्धित नोडल जिले को भेजेंगे ।

4. धनराशि का अवमोचन

4.1 राज्य स्तर से योजना मद की राशि प्रति वर्ष लेखानुदान/बजट पारित होने के बाद प्रत्येक जिले को उनके विधायकों की संख्या के आधार पर वार्षिक आवंटन किया जावेगा ।

4.2 जिलों को आवंटित राशि का 50 प्रतिशत अंश प्रथम किश्त के रूप में जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)को अवमुक्त किया जायेगा बशर्ते जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) में गत वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत उपलब्ध रही कुल राशि (गत वित्तीय वर्ष के एक अप्रेल का अवशेष + चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि) के 60 प्रतिशत या इससे अधिक व्यय कर लिया हो ।

4.3 शेष 50 प्रतिशत राशि (द्वितीय किश्त)जिले द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में उनके यहां उपलब्ध रही राशि (गत वित्तीय वर्ष के एक अप्रेल का अवशेष+चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त प्रथम किश्त की राशि) का 60 प्रतिशत से अधिक व्यय करने तथा द्वितीय किश्त प्राप्त करने हेतु क्लेम मय गत वर्ष की सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जारी की जावेगी ।

4.4 स्थानीय विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्य (अनुमत योग्य) को अन्य योजना मद की राशि के साथ डबटेल कर कार्य स्वीकृत किया जा सकेगा बशर्ते अन्य योजना मद की राशि का प्राप्त होना सुनिश्चित हो तथा वह कार्य उस अन्य योजना मद में भी अनुमत हो ।

4.5 विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य की लागत का शत–प्रतिशत राशि स्वीकृत करने का प्रावधान हैं इसके अतिरिक्त जनसहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सामान्य क्षेत्र मे न्यूनतम 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति

बाहुल्य राजस्व ग्राम जिसकी कुल आबादी का 50 प्रतिशत या इससे अधिक आबादी अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति की है तो ऐसे ग्रामों में स्वीकृत कार्य के लिए

न्यूनतम 20 प्रतिशत जन सहयोग (नकद/सामग्री/श्रम) उपलब्ध होने पर भी शेष राशि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमत कार्यो के लिये स्थानीय विधायक की अभिशंषा पश्चात स्वीकृत की जा सकती हैं ।

5. कार्यो के तकमीने तैयार कराना एवं उनका कियान्वयन

विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका में दी गई व्यवस्था के अनुरूप कार्यो के तकमीने तैयार करवायें जावेंगे तथा उनका क्रियान्वयन करवाया जावेंगा। परन्तु शहरी क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखते हुये दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 3.7 में वर्णित विभागों/बोर्ड/निकाय हेतु शहरी क्षेत्रों में कार्य के प्रकार को देखते हुये सम्बन्धित विभाग/एजेंन्सी के प्रचलित बी.एस.आर दरों से तकमीने तैयार करवाये जायेंगे तथा उनका क्रियान्वयन भी तदनुसार कराया जा सकेगा । परन्तु कार्य पर कोई प्रोरेटा चार्ज देय नहीं होगा । ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व में दिये गये प्रावधान के अनुसार ही कार्य हेतु ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 के अनुसार तकमीने तैयार कराये जायेंगे तथा उनका क्रियान्वयन करवाया जावेगा ।

6. प्रबोधन व्यवस्था

6.1 निर्माणाधीन कार्यो का निरीक्षण विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप किया जाना हैं ।

6.2 इस योजनान्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यो का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) द्वारा योजनान्तर्गत अर्जित की जाने वाली प्रगति से प्रति माह निर्धारित प्रारूप में ग्रामीण विकास विभाग को माह समाप्ति के बाद 8 दिवस में भिजवानी होगी ।

7. पूर्णता प्रमाण पत्र

निर्मित कार्यो के पूर्णता प्रमाण पत्र भी विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 के अनुरूप तैयार करवाये जावेंगे।

8. अभिलेख संधारण

अभिलेख संधारण विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप तैयार करवाये जावेंगे।

9. परिसम्पतियों का ब्यौरा

योजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली सभी पसिम्पतियों के ब्यौरे का संधारण विभाग द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप किया जावेंगा ।

10. अंकेक्षण

जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) स्तर पर योजना के लेखों का प्रतिवर्ष सनदी लेखाकार द्वारा अंकेक्षण करवाया जाकर अंकेक्षण रिपोर्ट वर्ष की समाप्ति के तीन माह में विभाग को भिजवायी जावेंगी।

11. राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग उक्त योजना का नोडल डिपार्टमेन्ट होगा तथा जिला स्तर पर जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) नोडल ऑफिस होगा ।

(ए.के. सिंह)
शासन सचिव

क्रमांक : एफ. 14(40)एम.एल.ए. / ग्रुप–6 / 2005 जयपुर, दिनांक सितम्बर,2005

प्रतिलिपि सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव , महामहिम राज्यपाल , राज0 जयपुर ।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री , राजस्थान / सचिव, राजस्थन विधान सभा , जयपुर ।
3. विशिष्ठ सहायक , मा0 मंत्री / मा0 राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राज0 जयपुर ।
4. मा0 विधायक श्री ....(समस्त)
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव,राजस्थान जयपुर ।
6. निजी सचिव, विकास आयुकत एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव,राज0 जयपुर ।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ,राज0 जयपुर ।
8. प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव ....।
9. निजी सहायक , शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राज0 जयपुर ।
10. संभागीय आयुक्त, अजमेर / बीकानेर / भरतपुर / जयपुर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर ।
11. उप शासन सचिव, आयोजना विभाग ।
12. शासन उप सचिव (प्रशासन) / परियोजना निदेशक(समस्त)............ग्रामीण विकास विभाग , जयपुर ।
13. जिला कलेक्टर (समस्त).............।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), (समस्त). उक्त परिपत्र की एक–एक प्रति अपने – अपने जिले से सम्बन्धित मा0 विधायकगण को उपलब्ध कराने एवं सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. रक्षित पत्रावली ।

(ओंकार सिंह)
परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव(एस.ए.पी.)

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत कराये जाने अनुमत कार्यो की सूची

राज्य के ग्रामीण / शहरी क्षेत्र में सामुदायिक उपयोग में लिये जाने वाले निम्न प्रकृति के पंचायतीराज संस्था / स्थानीय स्वायत्तशाषी निकाय / राजकीय स्वामित्व के निर्माण कार्य विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निष्पादित कराये जा सकेंगेः–

1. समग्र ग्रामीण रोजगार योजना की मार्ग दर्शिकाओं के अन्तर्गत स्वीकृत हो सकने वाले सामुदायिक उपयोग के कार्य ।
2. पेयजल के कार्य ।
3. किसी ग्राम/नगर की आबादी सीमा मं सडक (ग्रेवल/मेटल/डामर/सीमेन्ट)/खरंजा एवं नाली निर्माण ।
4. शहरी क्षेत्र में सिवरेज का कार्य ।
5. (अ) चिकित्सालय / स्वास्थ्य केन्द्र/ उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन ।
   (ब) शिक्षण संस्थाओ के लिए भवन/कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कम्प्यूटर / अध्ययन–अघ्यापन सामग्री / स्काउट सामग्री/ खेल सामग्री/ फर्नीचर/दरी ।
   (स) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा गैर सहायता प्राप्त परन्तु मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के लिये भवन बशर्ते वे शिक्षण संस्थाये कम से कम तीन वर्ष से अस्तित्व में हो ।
   (द) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाअें की शिक्षा के लिये कम्प्यूटर।
6. ग्रेवल/डब्ल्यू.बी.एम. /डामर/सीमेन्ट सडक के कार्य ।
7. ग्राम/शहर में तालाबों की सफाई/ डिस्ल्टींग का कार्य ।
8. पारम्परिक जलस्त्रोतों के विकास के कार्य।
9. गांवों के सम्पर्क सडकों/रास्तो के लिये पुलिया/रपट का कार्य ।
10. पर्यटन स्थलों के लिए आधारभूत सुविधाओं का कार्य ।
11. पशुधन के लिये पीने के पानी की सुविधा विकसित करने का कार्य ।
12. पशु स्वास्थ्य के लिये चिकित्सालय/डिस्पेन्सरी भवन का निर्माण कार्य ।
13. (अ) चिकित्सालय हेतु चिकित्सा उपकरण/एम्बूलेन्स ।
    (ब) पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में चलते फिरते दवाखानों की व्यवस्था ।
    (स) रेड क्रोस/राम कृष्ण मिशन जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के लिये एम्बूलेन्स ।
14. श्मशान/कब्रिस्तान आदि की चारदीवारी एवं सुविधायें विकसित करने का कार्य ।
15. पुस्तकालय भवन /बस स्टेण्ड /धर्मशाला /विश्रामगृह /स्टेडियम /वालिम्की भवन/ सामुदायिक भवन।
16. विद्युतिकरण ।
17. सार्वजनिक/सरकारी स्वामित्व के योजनान्तर्गत निर्मित भवन निर्माण के मरम्मत कार्य ।
18. चारदिवारी निर्माण ।
19. स्पोर्टस काम्पलेक्स ।
20. जनोपयोगी कार्य ।

21. अन्य योजना में स्वीकृत किन्तु राशि के अभाव मे अपूर्ण कार्य ।
22. जिला परिषदों (ग्रामीण प्रकोष्ठ)/ पंचायती राज संस्थाओं हेतु फैक्स मशीन / कम्प्यूटर।
23. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना ।
24. राजस्थान सरकार के स्वीकृत अदालत भवन / कार्यालय भवन / पंचायत राज संस्थाओं के भवन निर्माण का कार्य ।
25. इलक्ट्रोनिक परियोजनायें :
    (अ) सूचना फुटपाथ (ब) माध्यमिक विद्यालयों में हैम क्लब
    (स) सिटीजन बैण्ड रेडियो (द) ग्रंथ सूची–डाटा बेस परियोजनायें ।
26. स्थानीय निकाय में नाइट सोयल डिसपोजन सिस्टम ।
27. जयपुर मुख्यालय पर सूचना केन्द्र परिसर में निर्मित होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिये स्मृति भवन व अनुसंधान केन्द्र का निर्माण ।
28. राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत विद्यमान महाविद्यालयों में नवीन विषय प्रारंभ करने के लिये सम्बन्धित कॉलेज विकास समिति द्वारा 3 वर्ष के लिए आवश्यक आवर्ती व्यय हेतु इकठ्ठी राशि की व्यवस्था की जानी हैं । परन्तु इसमें यदि कोई कमी हो तो विधायक स्थानीय क्षेत्र योजना मद की राशि विधायक की अभिशंषा पर उपयोग में ली जा सकती हैं ।
29. राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत विद्यमान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन संकाय/ विषय प्रारंभ करने के लिये सम्बन्धित विद्यालय विकास समिति द्वारा 3 वर्ष के लिए आवश्यक आवर्ती व्यय हेतु इकठ्ठी राशि की व्यवस्था की जानी हैं। परन्तु इसमें यदि कोई कमी हो तो विधायक स्थानीय क्षेत्र योजना मद की राशि भी उपयोग में ली जा सकती हैं ।
30. जयपुर मुख्यालय पर प्रस्तावित हज हाउस के निर्माण हेतु राज्य के सभी विधायक यदि वे चाहे तो अपने विधायक कोटे से प्रस्ताव अपने नोडल जिले के माध्यम से जिला कलक्टर, जयपुर को प्रेषित कर सकेंगे ।
31. राजकीय डाक बंगलों में ए.सी. कूलर एवं पंखें ।
32. राजकीय अस्पतालों के लिए चद्दर , कम्बल एवं गद्दे ।
33. राज्य पुलिसकर्मी आवासीय भवन निर्माण का कार्य अकाल प्रभावित क्षेत्रों में श्रम मद अकाल राहत से दिये जाने की शर्त पर सामग्री मद विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत किये जा सकेंगे ।
34. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय / उप अधीक्षक कार्यालय एवं थानों के लिये कम्प्यूटर मय लेजर प्रिंटर, स्केनर एवं फैक्स क्रय करने हेतु एक मुश्त राशि (अनावर्ति व्यय)
35. उपखण्ड कार्यालयों के लिये कम्प्यूटर मय प्रिन्टर व फैक्स मशीन क्रय करने हेतु एक मुश्त राशि (अनावर्ती)

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत न कराये जा सकने वाले कार्यो की सूची

1. अनुदान एवं ऋण ।
2. वाणिज्यिक संगठन / निजी संस्था के लिए सम्पत्ति ।
3. वस्तु / सामान की खरीद ।
4. भूमि के अधिग्रहण एवं अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा ।
5. व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति ।
6. धार्मिक पूजा स्थल ।

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
अनुभाग–6

क्रमाक एफ. 14(40)एमएलए / अनु0–6 / 2000 जयपुर,,दिनांक नवम्बर,2005

'' विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम ''– परिपत्र

'' विद्याभारती '' जो एक अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान है के अन्तर्गत देश भर मे '' आदर्श विद्या मंदिर '' के नाम से विद्यालय संचालित हैं । राजस्थान राज्य में शिक्षा विभाग द्वारा उक्त विद्यालयों को अलग–अलग पंजीकृत कर मान्यता प्रदान की हुयी हैं, के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत जारी दिशा निर्देश परिपत्र दिनांक 16.9.2005 के बिन्दु संख्या 2.24 में निर्देशानुसार **विशेष शिथिलता** प्रदान करते हुये आदर्श विद्या मंदिर के प्रत्येक विद्यालय को पृथक इकाई मानकर प्रत्येक विद्यालय के लिए अधिकतम 10.00 लाख रूपये तक की सीमा तक की राशि के कार्य स्वीकृत किये जा सकते हैं ।

(ओंकार सिंह)
उप सचिव (एस.ए.पी.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु :
1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान , जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा , राज0 जयपुर ।
3. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री ,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव,राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान ।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सहायक, आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
8. निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान ,जयपुर ।
9. संभागीय आयुक्त , अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर ।
10. उप शासन सचिव, आयोजना विभाग / वित्त (व्यय–1) विभाग जयपुर ।
11. शासन उप सचिव (प्रशासन) / परि0 निदेशक (समस्त) ग्रामीण विकास विभाग।
12. जिला कलक्टर (समस्त)..................................।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद(समस्त)को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा उक्त परिपत्र की एक–एक प्रति अपने – अपने जिले से सम्बन्धित मा0 विधायकगण को उपलब्ध कराने हेतु ।

उप सचिव (एस.ए.पी.)